Website: www.rssrashtriya.org E-mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय: 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302001
संरक्षक: सर्वश्री राजनारायण शर्मा, उमराव लाल वर्मा, रामावतार शर्मा, प्रहलाद शर्मा

(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

रमेश चन्द्र पुष्करणा	सम्पत सिंह	महेन्द्र कुमार लखारा
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	महामंत्री
9460057712	9413344625	9460209114

क्रमांक: रा.शि.संघ (राष्ट्रीय)/महामंत्री/033 दिनांक- 29/07/2025

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार जयपुर।

विषय:- विगत वर्षों की बकाया रही IPR भरने में शिथिलन प्रदान कर राजकाज पोर्टल पुनः खुलवाकर राहत प्रदान करवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रांक के संबंध में निवेदन है कि श्रीमान प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार कार्मिक (क-1/गो.प्र.)विभाग जयपुर के द्वारा विगत वर्षों में जो कार्मिक अपनी अचल संपत्ति विवरण (IPR) को राजकाज पोर्टल पर तकनिकी खराबी के कारण ऑनलाइन नहीं भर पाए है, जिन्होंने IPR भरी थी उन्हें OTP प्राप्त नहीं हुआ था। उनका वेतन रोकने की कार्यवाही प्रासंगिक आदेश की पालना में शिक्षा विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

इस संबंध में संगठन का आग्रह है कि जब IPR को भरना प्रारंभ करवाया गया उसके लिए विभाग ने उसे ऑनलाइन किस प्रकार किया जाना है उसका किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। तथा ऐसा नही करने पर वेतन रोकने के आदेश को तत्कालीन समय में प्रसारित नहीं किया गया। कम्प्यूटर पर ऑनलाइन करने की कार्यवाही से अनभिज्ञ होने के कारण विगत वर्षों में शिक्षा विभाग के कार्मिक IPR ऑनलाइन नहीं भर पाए। साथ विभाग द्वारा IPR भरने की अवधि बढ़ाकर कार्मिको को सूचित भी नहीं किया ऐसे में अब शिक्षा विभाग के आहरण वितरण अधिकारियो द्वारा विगत 3 वर्षों में IPR नहीं भरने वाले कार्मिका प्रासंगिक आदेश का हवाला देकर वेतन रोकने की कार्यवाही प्रारम्भ कर रहा है जो समीचीन नही है।

संगठन का आग्रह है कि विगत तीन वर्षों में किसी भी कार्मिक की IPR भरनी शेष है, तो राजकाज पोर्टल को पुनः खुलवाकर बकाया रही IPR को भरने की छूट 31 अगस्त 2025 तक प्रदान करवाने के आदेश पारित करवाते हुए राहत प्रदान करावे।

भवदीय

(महेन्द्र कुमार लखारा)
महामंत्री